तुरन्त अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांकः-प.13(2)साप्र/2/2013 जयपुर, दिनांकः 05-05-2022

-: संशोधित आदेश :-

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28.04.2022 द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी घोषणा के तहत राज्य के समस्त जिलों में पंचायतीराज संस्थाओं (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों एवं सरपंच एवं वार्ड पंच) के उप चुनाव हेतु मतदान दिवस दिनांक 08.05.2022 (रविवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया गया था।

उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 8882 दिनांक 28.04.2022 द्वारा मतदान तिथि में संशोधन कर जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों हेतु मतदान तिथि 10.05.2022 (मंगलवार) एवं सरपंच व पंच हेतु मतदान तिथि 07.05.2022 (शनिवार) घोषित की गई है। अतः जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों हेतु मतदान तिथि 10.05.2022 (मंगलवार) एवं सरपंच व पंच हेतु मतदान तिथि 07.05.2022 (शनिवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

साथ ही पुनर्मतदान की स्थिति में भी जहां पुनर्मतदान होगा उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु भी संबंधित जिला कलक्टर, (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(डॉ. हरसहाय मीणा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
9. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग,राजस्थान,जयपुर को उनके पत्र कमांक 8882 दिनांक 28.04.2022 के कम में।
10. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव /विशिष्ठ शासन सचिवगण।
11. समस्त सम्भागीय आयुक्त ।
12. समस्त जिला कलक्टर ।
13. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
14. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
15. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
16. निदेशक, पंचायतीराज, राजस्थान, जयपुर।
17. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।

05/5/22

संयुक्त शासन सचिव

(5)

चुनाव / अतिआवश्यक

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवंPh. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक:एफ. 7(2)(1)/पचा/रानिआ/2022/ 8882 दिनांक 28.04.22

शासन सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

[illegible] संख्या 1925
[illegible] 29/4/22
[illegible] प्रशासन,
[illegible]
स्टेट मोटर गैराज, नागरिक [illegible] विभाग,
राजस्थान

विषयः– पंचायतीराज संस्थाओं के उप चुनाव माह मई, 2022 – संशोधित मतदान तिथियों के अनुसार सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के संबंध में।

संदर्भः– आयोग का पत्रांक 8716 दिनांक 20.04.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से पंचायतीराज संस्थाओ में दिनांक 31.01.2022 तक की रिक्तियों पर उप चुनाव हेतु निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान की तिथि 08.05.2022 को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की अपेक्षा की गई थी।

राज्य में 5वीं एवं 8वी बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा उप चुनाव कार्यक्रम की तिथियों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया गया हैं :–

➢ जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए

क्र.स.	कार्य का विवरण	तिथियां
1	मतदान की तिथि एवं समय	10.05.2022 (मंगलवार) प्रातः 7.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक
2	मतगणना 1. जिला परिषद सदस्य – जिला मुख्यालय पर 2. पंचायत समिति सदस्य – पंचायत समिति मुख्यालय पर	11.05.2022 (बुधवार) प्रातः 9.00 बजे से
3	उपप्रधान का चुनाव	12.05.2022 (गुरूवार)

➢ सरपंच एवं पंच के लिए

क्र.स.	कार्य का विवरण	तिथियां
1	मतदान की तिथि एवं समय	07.05.2022 (शनिवार) प्रातः 7.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक
2	मतगणना (पंचायत मुख्यालय पर)	07.05.2022 (शनिवार) मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्
3	उपसरपंच का चुनाव	08.05.2022 (रविवार)

अतः संदर्भित पत्र की अपेक्षानुसार मतदान की परिवर्तित तिथियों, जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य हेतु दिनांक 10.05.2022 तथा पंच एवं सरपंच हेतु दिनांक 07.05.2022 को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का श्रम करावें।

भवदीय,
28/4/2022
(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

क्रमांक:एफ. 7(2)(1)/पंचा/रानिआ/2022/ 8883 दिनांक 28.04.22

प्रतिलिपि समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (पंचायत) को सूचनार्थ प्रेषित है।

28/4/2022
(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
प्राप्ति संख्या 957
दिनांक 5/5/22